Government of India
Central Water Commission
Estt.VI Section

Room No.528, Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-66.

Sub.: **Uploading of Notified Recruitment Rules of Junior Engineers (C&M).**

S.M. Directorate is requested to upload the Recruitment Rules of Junior Engineer (C&M) on CWC Website in compliance with Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, DOPT's O.M. No.AB-14017/61/2008-Estt.(RR) dated 27.2.2015 read with CWC's letter No.3/1/2015-O&M/246 dated 9.3.2015.

25/3/2015

(K.K. SAPRA)
UNDER SECRETARY

Director, SM Dte., Central Water Commission, New Delhi.
CWC I.D.No. H-12019/1/2014-Estt.VI/ 195 dt. 25.3.2015

Copy to Section Officer, O&M Section w.r.to letter No.3/1/2015-O&M/246 dated 9.3.2015

27-03

30/03/15

J.E

S.M. अनु/Sec/निदे/Dte.
डा.सं./Dy. No. 666
दिनांक/Dt. 30/3/15

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, जुलाई 11—जुलाई 17, 2010, शनिवार/आषाढ़ 20—आषाढ़ 26, 1932

No. 29] NEW DELHI, JULY 11—JULY 17, 2010, SATURDAY/ASADHA 20—ASADHA 26, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल आयोग अननुसचिवीय समूह 'ग' पद (इंजीनियरी सर्विसेज) भर्ती नियम, 2002 को, अधिक्रांत करते हुए, जहां तक इनका संबंध कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और मैकेनिकल) के पद से है, उन बातों के सिवाय जहां ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग में कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और मैकेनिकल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और मैकेनिकल), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उससे संबंधित उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और मैकेनिकल)	676* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. +ग्रेडवेतन 4200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	32 वर्ष तक। टिप्पणी 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री अथवा डिप्लोमा ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
टिप्पणी : आवेदकों के अन्यथा सुअर्हित होने की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती । **टिप्पणी :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर होने या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है– (क)(i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन बैंड-2 5200-20200 रूपए + ग्रेड वेतन 2800 रूपए अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष 2. निदेशक (स्थापना) अथवा उप सचिव (स्थापना), जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 3. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य 4. निदेशक, —सदस्य —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. 10/2010/फा. सं. 35/3/2009-स्था. I]

के. राजप्पा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th July, 2010

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Central Water Commission Non-Ministerial Group 'C' posts (Engineering services) Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the post of Junior Enginer (Civil and Mechanical), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer (Civil and Mechanical) in the Ministry of Water Recources, Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Recourses, Central Water Commission, Junior Engineer (Civil and Mechanical), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Pay band and Grade pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commieesion, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Engineer (Civil and Mechanical)	676* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2 Rs. 9300—34800 plus grade pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Upto 32 years **Note 1 :** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not

(7)
the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
(8)	(9)	(10)
Degree or Diploma in Civil or Mechanical Engineering from a recognised University or Insitution. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of cacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment through all India competitive examination to be held by the Staff Selection Commission. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,— (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular services in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-2 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (8).	Not applicable

2559 GI/10-2